डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

अदालत ....बीदासर........ मुकाम .... व

इजलास पीठासीन अधिकारी :- श्री रमेशराम वर्मा R.A.S.

.... बनाम ....

दावा बाबत ....

मुकदमा न0 ....74/15 सन् ....

यह मुकदमा आंज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....

हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई व श्री गजराज सिंह एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 ता 23

.... मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि घोषित किया जाता है कि जुमला ख.नं. 40 तादादी 11 बिघा 8 बिस्वा व ख.सं. 41 तादादी 52 बिघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 85 तादादी 19 बिघा 3 बिस्वा व ख.सं. 86 तादादी 17 बिघा 18 बिस्वा व ख.नं. 87 तादादी 26 बिघा 19 बिस्वा वाके रोही उपाधियां तहसील बीदासर में स्थित है। जिनके खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 8 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 9 वा 10 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 11 व 12 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 13 ता 15 व प्रतिवादी सं. 25 जरिये उत्त मोहनराम का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 16 ता 19 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 20 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 21 से 24 का 1/8 हिस्सा के है। वादग्रस्त खेतों का वर्तमान में जो राजस्व रेकार्ड है वो भी गलत एवं शून्य है। वादग्रस्त खेतों के राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा में लेता वल्द मालू का अंकन हुवा वो भी गलत है तथा बाद में वादीगण के पति पिता तथा गौण प्रतिवादी के पितास्व.

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे। *

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....11.... माह ....11.... 2019.

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा ....बीदासर....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

Scanned by CamScanner

* कुम्भाराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ वो गलत एवं शून्य है। तथा दौराने
रहा वादीगण एवं जौता प्रतिवादी के नाम वादगत खेतों के राजस्व
रेकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है वह गलत है जिसको समोचित
कर वादगत खेत खसरा सं. 85, 86, 87 वाके रोही उपाधियां के राजस्व
रेकार्ड में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 3 ता 8 का
1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 9 व 10 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 11 व 12 का
1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 13 ता 15 व प्रतिवादी सं. 25 धन्नाराम का
मोहनराम का 1/8 प्रतिवादीगण सं. 16 ता 19 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 20 का
1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 21 ता 24 का 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाने का
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बीदासर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में
दर्ज करे। तथा वादीगण एवं जौता प्रतिवादी को परिपे चिर निषेधाज्ञा
वर्जित किया जाता है। कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 25 के खातेदारी कब्जा
काश्त के खेत ख. नं. 85 तादादी 19 बीघा 3 बिस्वा व ख. सं. 86
तादादी 17 बीघा 17 बिस्वा व ख. सं. 87 तादादी 26 बीघा 19 बिस्वा
वाके रोही उपाधियां वर्तमान तहसीलदार बीदासर में स्थित है के कब्जा
काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं देवे न नाजायज प्रवेश
करे न प्रतिवादीगण को वादगत खेतों से बेदखल करे। खर्चा मुकदमा
उभय पक्ष अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 11-11-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षर मुद्रांकित व दिनांकित
किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... चूरू